457

समक्ष :— न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.
ग्वालियर, केम्प भोपाल
द्वारा कलेक्टर महोदय हरदा

पुनरीक्षण कमांक /निगरानी-4713/2018/
प्रस्तुत दिनांक 27 जून 2018
निगरानी-4713/2018/हरदा/भू.रा.

श्रीमति उषा देवी आयु लगभग 69 साल,
पत्नि श्री राधेगोविन्द जी दुबे,
धंधा किसानी एवं गृह कार्य,
निवासी शिक्षक कालोनी के पिछे,
रामनगर कालोनी महर्षि कान्वेन्ट स्कुल,
के पास हरदा, जिला हरदा म.प्र.
मोबाईल नंबर 8120549585

.................................पुनरीक्षणकर्ता

Presented by Shri Rahul Karwal Advocate
27/6/18

3969
28/06/18

:: ब नाम ::

01/ अवधेश आयु लगभग 52 साल,
आत्मज हरिशंकर भट्, धंधा किसानी,

02/ मुकेश आयु लगभग 50 साल,
आत्मज हरिशंकर भट्, धंधा किसानी,

03/ अर्चना आयु लगभग 48 साल,
पुत्री हरिशंकर भट्ट, धंधा किसानी,

04/ अखिलेश आयु लगभग 44 साल,
आत्मज हरिशंकर भट्, धंधा किसानी,

05/ कमलेश आयु लगभग 40 साल,
आत्मज हरिशंकर भट्, धंधा किसानी,

06/ लोकेश आयु लगभग 36 साल,
आत्मज हरिशंकर भट्, धंधा किसानी,
सभी निवासी रिध्दनाथ मंदिर के पीछे,
ग्राम हंडिया, तहसील हंडिया,
जिला हरदा म. प्र.

07/ प्रमोद भिलाला आयु लगभग 35 साल,
आत्मज श्रवण भिलाला,
निवासी ग्राम हंडिया,
जिला हरदा म.प्र.

08/ श्रीमति बीना त्रिपाठी आयु लगभग 55 साल,
पति डाक्टर नरेन्द्र त्रिपाठी,

Cancelled
27/6/18

श्री. उषा दुबे

त्रिपाठी क्लीनिक हंडिया रोड हरदा,
जिला हरदा म. प्र.

09/ म.प्र. शासन,
द्वारा तहसीलदार हंडिया,
जिला हरदा (म.प्र.)

...............................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय है :-

01/ यह कि, पुनरीक्षणकर्ता राजस्व प्रकरण कमांक **(Q)** 01अ/12 वर्ष 17-18 अंतर्गत धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. में दिनांक 15/05/2018 एवं इस आदेश पर आधारित सीमांकन प्रकिया से असंतुष्ट/दुःखी व पीडित होकर यह पुनरीक्षण जानकारी दिनांक 18/06/2018 को लगने पर एवं नकल आवेदनपत्र दिनांक 18/06/2018 को पेश करने परंतु कोई रसीद नही देनें एवं नकल प्रदान करने में नकल आवेदनपत्र प्रस्तुती दिनांक 21/06/2018 अपने मन से लिखकर दिनांक 25/06/2018 को प्राप्त होने पर उसके बाद यह पुनरीक्षण समय सीमा में पेश की जा रही है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

01/ यह कि, अनावेदकगण/उत्तरवादी कमांक 01, 02, 04 लगायत 06 ने अनावेदक कमांक 07 के समक्ष एक आवेदनपत्र दिनांक 15/05/2018 को कृषि भूमि खसरा नंबर 129/1 रकवा 7.980 हेक्टेयर के सीमांकन करने हेतु पेश किया । इस आवेदनपत्र पर से अनावेदक कमांक 09 के नाम से आदेश पारित किया गया कि, सीमांकन करने हेतु आदेश जारी हो, इस आदेशिका पर उत्तरवादी कमांक 09 के हस्ताक्षर ही नही है, इसकी प्रति पुनरीक्षणकर्ता को जब उसे चाही गई प्रमाणित प्रति प्रदान की गई उसके साथ प्रदान की गई जो पुनरीक्षणकर्ता की और से सूची अनुसार पेश की जा रही है।

02/ यह कि, सीमांकन आदेश पर हस्ताक्षर हुये बिना ही सीमांकन का प्रकरण दर्ज हुये बिना ही उस पर की गई कार्यवाही अवैद्यानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

03/ यह कि, आदेश दिनांक 15/05/2018 के अनुसार किये गये सीमांकन में नियत की गई दिनांक 21/05/2018 को जब पुनरीक्षणकर्ता मौके पर पहुंची तो वहां पर कोई नही था ।

04/ यह कि, उत्तरवादीगण से मिली-भगत करके मौके पर भैतिक रूप से कोई सीमांकन किये बिना घर या कार्यालय में बैठकर कागजात तैयार

श्रीमती उषा दुबे

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4713/2018/हरदा/भू.रा. उषादेवी विरूद्ध अवधेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खिरकिया के प्रकरण क्रमांक Q1/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 15-5-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 30/1/19 (आर.के. जैन) सदस्य	